

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्राधानान्तर्गत रहित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश क्रमांक-शिविरा/ना/संस्था/सी-5/उर्दू/रिज्यू डीपीसी-डीपीसी/2018-19/2018 की गई अनुशांसा के आधार पर अंकित विवरणानुसार घयन किये जाने पर घयनित अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद वेतन लेवल 12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर परस्थानित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 27(1)कार्मिक/क-2/85 दिनांक 20.08.2001 (अ/01) के प्राधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मों जिनके दिनांक 01.08.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक समय के ले वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / प्रशासक इसकी सुनिश्चितता करने। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम पर रिश्ता क्रमांक/वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से पुरत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक 21/09/2018 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दाखिल होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 21/09/2018 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में गोपनीय पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करने। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक-22/09/2018 तक पदोन्नति परस्थानित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इच्छा शाला दर्शन पर अवश्य करावे।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह मुष्टि अवश्य कर लेंगे की जिस परिस्थिति अर्थात् के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अर्थ के पश्चात उस कार्मिक की अनर्गमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अनर्गमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को दस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।



(निदेशक)
कार्मिक
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 11-09-2018

क्रमांक- शिविरा/ना/संस्था/सी-5/उर्दू/रिज्यू डीपीसी-डीपीसी/2018-19/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

- 01 शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 02 सयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(पुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 03 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
- 05 समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) — को सूचनार्थ ।
- 06 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक)/प्रशासक/आईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से अउनलेड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
- 07 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
- 08 संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान
- 09 सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक- शिबिरा / मा / संस्था / सी-5 / उर्दू / रियू डीपीसी-डीपीसी / 2018-19 / 2018

दिनांक

11-09-2018

क्र सं	स्थापक	चरित्रता अवधि	वर्ग	चयन वर्ष	नाम लोक सेवक	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापनस्थान (राजमाहि / राजप्राहि / राजमाहि / राजाजमाहि)	पदस्थापनस्थान (राजमाहि / राजाजमाहि)	जिला
1	1550	2008-2009		2018-19	मोहम्मद जाहिद वऱु.	01-01-1972	नीदुटी अजमेर	GOVT.SR.SEC.SCH., RAUSAMAND (08250614009)	RAUSAMAND
2	1298	2000-2001		2018-19	शाहिदा परवीन काजी वऱु.	01-09-1963	बाअशमामाता उदयपुर	G.S.SEC.S.KANWARPADA (08260521801)	UDAPIPUR


(नथमल खिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर